

226/2024

जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।
सिहाजा विप्राधी को आगामी पेशी तारीख 30.7.2024 तक जरिए
अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबंद किया जाता है, कि ग्राम
भाडियावास तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 2064/1518 क्षेत्रफल
0.7548 हेक्टर भूमि के संबंध में राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाए
रखें। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 की पालना में विप्राधीगण
के नाम नोटिस जारी होकर जरिये रजिस्ट्रार ए.डी. नोटिस तलब किया
जावे। नोटिस की दस्तवी वकील प्रार्थी को दी जावे। रजिस्ट्री खर्चा
प्रार्थी वहन करेगा। वकील प्रार्थी को हिदायत दी जाती है, कि
विप्राधीगण के नाम रजिस्ट्रार नोटिस भिजवा कर तीन दिवस में रसीदे
पेश करें अन्वया रथगन पर न्यायालय विधि-सम्मत आदेश पारित
करने हेतु अग्रसर होगा। पत्रावली वास्ते-विप्राधी की तलबी एवं जवाब
हेतु दिनांक 30.7.2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

30.7.2024 वकील आशीष ठाकुर, उपस्थित, विप्राधी
सिंह का व 3 (ने) 9 तलबी हेतु,
दिनांक 14.8.2024 को पेश हो

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

14/8/24 पक्षकारान के अधिवक्ता उप./अर्जु/पीठासीन
अधिकारी चुर्नारु कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली
वास्ते शुक्रवार 14/8/24
दिनांक 06/9/24 को पेश है।

06.9.2024 वकील आशीष ठाकुर, उपस्थित, वकील
शुक्रवार का तलबी हेतु
वकील ठाकुर ने इलाक़ा अफ़सरी में शर्तों
यथावे का अंतिम उत्तर देते हुए
वकील अशोक-पुत्र को तलबी
संबंधित विषय पेश है।
पत्रावली वास्ते पत्रावली
द्वारा वकील को

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

